भारत सरकार
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त,
'नारकोटिक्स हाउस' राजस्व कॉलोनी के पास,
नीमच (म.प्र.) 458441

Government of India
Ministry of Finance, Department of Revenue
Central Bureau of Narcotics
O/o the Deputy Narcotics Commissioner,
"Narcotics House", Near Rajaswa Colony,
Neemuch (M.P.) 458 441

EPABX-07423-223030 FAX- 07423-220077/220099 e-mail : dnc-neemuch@cbn.nic.in

F.No. I(22)39/Adm/Truck/2018/ 1298- 1307 Dated : 23.02.2018

विज्ञप्ति

मध्य-प्रदेश इकाई में अफीम फसल वर्ष 2017-18 के लिए विभिन्न अफीम तौल केन्द्रों जैसे नीमच, मनासा, सिंगोली, मन्दसौर, सीतामऊ, जावरा, दूधाखेड़ी(गरोठ) से अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच में अफीम के कन्टेनरों को बंद ट्रकों द्वारा निर्देशानुसार सुरक्षित रूप से पहुँचाने हेतु जी.एस.टी. के अंतर्गत सामान्यरूप से पंजीकृत फर्मो से निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं।

नियम एवं शर्ते

1. विभाग को 8 से 10 बंद ट्रकों की आवश्यकता होगी। ट्रक, टर्बो 32 फीट लम्बाई के होने चाहिए, जो पूरी तरह से बंद हों एंव जिनके दरवाजे पर ताला लगाकर सील किया जा सके एवं जिनको GPS द्वारा track किया जा सके। ट्रकों की टूट-फूट, रिपेयरिंग की जिम्मेदारी स्वयं पार्टी की होगी।
2. निविदा में ट्रक किराया प्रतिदिन प्रति ट्रक एवं डीजल किलोमीटर/प्रति लीटर के अनुसार दर्शाना होगा। निविदा में प्रतिदिन किराये में सर्विस टैक्स व अन्य टैक्स भी अलग-अलग दर्शाएं। निविदादाता अपनी मोहरबंद निविदा जिस पर ''अफीम परिवहन हेतु बन्द ट्रक की निविदा'' लिखा हो, इस कार्यालय में दिनांक 07.03.2017 को 18:00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं जिन्हें दिनांक 08.03.2018 को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष 11:00 बजे खोला जाएगा।
3. ऐसे जिम्मेदार निविदादाताओं को ही प्राथमिकता दी जावेगी, जिनके पास उक्त वांछित संख्या में खुद के स्वामित्व के ट्रक होंगे।
4. निविदादाताओं को प्रति निविदा के साथ धरोहर राशि के रूप में रू. 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार) मात्र का बैक ड्राफ्ट जो ''आहरण एवं संवितरण अधिकारी, कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच'' के नाम पर देय हो, संलग्न करना आवश्यक होगा।
5. सभी केन्द्रों पर अफीम तौल कार्य एक साथ आरंभ होगा, जो माह अप्रैल के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होकर लगभग 15-20 दिनों तक चलेगा। दिनों की संख्या घट-बढ़ सकती है एवं अफीम तौल केन्द्र भी बदले जा सकते हैं। अफीम तौल कार्य प्रारंभ होने की सूचना फर्म को पूर्व में ही दे दी जाएगी।
6. टोल टैक्स का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा, जिसका भुगतान मूल बिल प्रस्तुत करने पर विभाग से प्राप्त किया जा सकेगा।
7. नोडल बिन्दु कार्यालय जिला अफीम अधिकारी नीमच प्रथम/द्वितीय/तृतीय, मन्दसौर प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जावरा प्रथम/द्वितीय एवं गरोठ होगा। आपको सभी ट्रक आदेशानुसार कार्यालय जिला अफीम अधिकारी नीमच प्रथम/द्वितीय/तृतीय, मन्दसौर प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जावरा प्रथम/द्वितीय, गरोठ खण्ड के अफीम तौल केन्द्र नीमच, मनासा, सिंगोली, मन्दसौर, सीतामऊ, जावरा, दूधाखेडी(गरोठ) में निर्धारित समय एवं दिनांक पर आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाने होंगे।
8. इस संबंध में किसी भी जानकारी के लिए कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच (म.प्र.) में 10:00 बजे से 18:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।